न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 119/2018 अपील (GCMS/2018/00131)
पंजीयन दिनांक - 27.08.2018
निर्णय दिनांक - 29.11.2021

1. **श्री अनिल कुमार पिता श्री लक्ष्मीलाल महात्मा, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द।**
2. **श्री जयन्त पिता श्री दिनेश महात्मा जैन, निवासी सेवाली, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थितिः-

1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री अनुराग शर्मा, इन्द्रविजय सिंह - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-09/2017, में श्री जयन्त महात्मा जैन बनाम श्री अनिल महात्मा जैन व अन्य में न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 29.11.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-09/2017, में श्री जयन्त महात्मा जैन बनाम श्री अनिल महात्मा जैन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- प्रत्यर्थी-2 श्री जयन्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व. श्री लक्ष्मीलाल पिता जवानमल महात्मा, निवासी राजनगर के खातेदारी की ग्राम सेवाली पटवार हल्का राजनगर में आ.न. 83 रकबा 0.10, 104/1 रकबा 0.08, 105 रकबा 1.07, 155/82 रकबा 1.03, 80 रकबा 0.14, 81 रकबा 0.12, 85 रकबा 0.16, 86 रकबा 0.14 कुल किता-08 रकबा 05.04 बीघा भूमि स्थित हैं। श्री लक्ष्मीलाल द्वारा उसके (श्री जयन्त महात्मा) और श्री लक्ष्मीलाल की पत्नि श्रीमती

कंचनदेवी के नाम वसीयत लिखी जिसे दिनांक 12.09.2011 को दस्तावेज संख्या-2011000149 से उप पंजीयक, उदयपुर के यहा पंजीबद्ध किया गया। अतः उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का उसके पक्ष में नामान्तरकरण खोला जावें।

- उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का दर्ज किया जिसके नम्बर 09/2017 हुए। उक्त प्रकरण में कार्यवाही के दौरान श्रीमती कंचन देवी एवं श्री अनिल महात्मा द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत श्रीमती कंचनदेवी के पक्ष में निष्पादित दिनांक 11.05.2015 वसीयत के अनुसार उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करनें का निवेदन किया।

- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-2 श्री जयन्त महात्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व ग्राम सेवाली पटवार सर्कल राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आ.न. 80 रकबा 0.14, 81 रकबा 0.12, 83 रकबा 0.10, 85 रकबा 0.16, 86 रकबा 0.14, 104/1 रकबा 0.08, 105 रकबा 1.07 एवं आ.न. 155 रकबा 0.03 बीघा कृषि भूमि खातेदार लक्ष्मीलाल पिता जवानमल महात्मा जैन के हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर श्री जयन्त महात्मा पिता श्री दिनेश महात्मा जैन निवासी सेवाली तहसील व जिला राजसमन्द के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 21.08.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया गया जिस पर आपत्ति/निर्णय को आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 27.08.2018 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 29.11.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि स्व. श्री लक्ष्मीलाल पिता जवानमल महात्मा, निवासी राजनगर के खातेदारी की ग्राम सेवाली पटवार हल्का राजनगर में आ.न. 83 रकबा 0.10, 104/1 रकबा 0.08, 105 रकबा 1.07, 155/82 रकबा 1.03, 80 रकबा 0.14, 81 रकबा 0.12, 85 रकबा 0.16, 86 रकबा 0.14 कुल किता-08 रकबा 05.04 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि के खातेदार मृतक लक्ष्मीलाल ने अपनी पत्नि कंचनदेवी के पक्ष में निष्पादित अंतिम वसीयत दिनांक 11.05.2015 के आधार पर दिनांक 02.05.2017 को नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2017 को प्रस्तुत किया, जिसके साथ गवाह अपीलार्थी एवं श्री ओमप्रकाश के शपथ पत्र मय वसीयत की प्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रकरण संख्या-09/2017 की कार्यवाही के दौरान ही श्रीमती कंचनदेवी का स्वर्गवास हो गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण की कार्यवाही में

कंचनदेवी के वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर ही प्रकरण में नामान्तरकरण रेस्पोडेंट संख्या-2 के नाम पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत दिनांक 12.09. 2011 लक्ष्मीलाल की अंतिम वसीयत नहीं थी, अंतिम वसीयत दिनांक 11.05.2015 को निष्पादित हुई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 18.06.2018 को सुनवाई हेतु नियत की थी, न उक्त दिनांक को सुनवाई हुई, न ही संभव है क्योंकि उस समय राजस्व केम्प न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत पसून्द में नियत और तहसीलदार वहा अपनी सेवाएं दे रहे थ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी वारिसान को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री जयन्त के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने कानूनन क्षेत्राधिकार नहीं था। वसीयत की वैधता, अवैधा एवं प्रमाणिकता विनिश्चय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। आलौच्य आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया जिससे उसे आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हुई देरी को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का पृथक से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया हैं। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त फरमाये जाने का अनुरोध किया।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या-2 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि स्व.श्री लक्ष्मीलाल महात्मा जैन द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 12.09.2011 को वसीयतनामा अपनी स्वअर्जित खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित किया। उक्त वसीयतनामा उपपंजीयक उदयपुर के सामने गवाहों की उपस्थिति में पंजीकृत कराया गया। अपीलार्थी द्वारा जो कथित वसीयत प्रस्तुत की है वह अनरजिस्टर्ड। दिनांक 12.09.2011 को वसीयत प्रस्तुत की गई वह पंजीकृत होने से उसके प्रमाणित करानें की कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयतनामा के गवाह मनीष शर्मा स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो वसीयतनामें की सत्यता की ताईद करती हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज अपने आप में ही प्रमाणित दस्तावेज है, जिसे अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया है और न ही अपीलार्थी द्वारा कोई वाद/प्रकरण दर्ज कराया हो, साक्ष्य प्रस्तुत किया हैं। श्रीमती कंचन देवी द्वारा प्रस्तुत वसीयत की दिनांक एवं नोटेरी किये जाने की दिनांक में भिन्नता होने से प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा संदेहास्पद प्रतीत होकर अस्वीकार योग्य थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा सभी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का पूर्ण विश्लेषण उपरान्त निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से थी, परन्तु अपीलार्थी द्वारा जानबुझ कर प्रत्यर्थी-2 श्री जयन्त महात्मा को परेशान करने की नियत से अपील विलम्ब से प्रस्तुत की जिसके कारण न तो संतोषप्रद है और न ही पर्याप्त। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य हैं। अन्त में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया हैं।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि स्व. श्री लक्ष्मीलाल पिता जवानमल महात्मा, निवासी राजनगर के खातेदारी की ग्राम सेवाली पटवार हल्का राजनगर में आ.न. 83 रकबा 0.10, 104/1 रकबा 0.08, 105 रकबा 1.07, 155/82 रकबा 1.03, 80 रकबा 0.14, 81 रकबा 0.12, 85 रकबा 0.16, 86 रकबा 0.14 कुल किता-08 रकबा 05.04 बीघा भूमि स्थित हैं। स्व.श्री लक्ष्मीलाल महात्मा जैन द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 12.09.2011 को वसीयतनामा अपनी स्वअर्जित खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित किया। प्रत्यर्थी-2 श्री जयन्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री लक्ष्मीलाल द्वारा उसके (श्री जयन्त महात्मा) और श्री लक्ष्मीलाल की पत्नि श्रीमती कंचनदेवी के नाम वसीयत लिखी जिसे दिनांक 12.09.2011 को दस्तावेज संख्या-2011000149 से उप पंजीयक, उदयपुर के यहा पंजीबद्ध किया गया। अतः उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का उसके पक्ष में नामान्तरकरण खोला जावें। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का दर्ज किया जिसके नम्बर 09/2017 हुए। उक्त प्रकरण में कार्यवाही के दौरान श्रीमती कंचन देवी एवं श्री अनिल महात्मा द्वारा प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत श्रीमती कंचनदेवी के पक्ष में निष्पादित दिनांक 11.05.2015 वसीयत के अनुसार उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करनें का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रत्यर्थी श्री जयन्त महात्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व ग्राम सेवाली पटवार सर्कल राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आ.न. 80 रकबा 0.14, 81 रकबा 0.12, 83 रकबा 0.10, 85 रकबा 0.16, 86 रकबा 0.14, 104/1 रकबा 0.08, 105 रकबा 1.07 एवं आ.न. 155 रकबा 0.03 बीघा कृषि भूमि खातेदार लक्ष्मीलाल पिता जवानमल महात्मा जैन के हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर श्री जयन्त महात्मा पिता श्री दिनेश महात्मा जैन निवासी सेवाली तहसील व जिला राजसमन्द के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत वसीयत दिनांक 12.09.2011 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि स्व. लक्ष्मीलाल द्वारा विवादित भूमि प्रत्यर्थी श्री जयन्त महात्मा एवं श्रीमती कंचन देवी के नाम वसीयत की। उक्त वसीयत पंजीकृत है, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है। गवाहान द्वारा उक्त पंजीकृत वसीयत की अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पुष्टि की है। गवाह श्री मनीष सोनी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष स्वयं उपस्थित होकर शपथ प्रस्तुत किया है। उक्त गवाह ने अपने शपथ पत्र में वसीयतकर्ता द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 12.09.2011 निष्पादित व पंजीकृत करवाने के तथ्य की ताईद की गई। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 12.09.2011 के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण सिर्फ प्रत्यर्थी श्री

जयन्त महात्मा के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित किया जबकि स्व. लक्ष्मीलाल द्वारा विवादित भूमि प्रत्यर्थी श्री जयन्त महात्मा एवं श्रीमती कंचन देवी के नाम वसीयत की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के किये अंकन अनुसार श्रीमती कंचन देवी का स्वर्गवास हो चुका है। ऐसें में तहसीलदार राजसमन्द द्वारा श्रीमती कंचन देवी के हिस्से का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम किया जाना था परन्तु तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर सिर्फ श्री जयन्त महात्मा के नाम नामान्तरकरण पारित करने का आदेश पारित किया जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त वसीयत के उपरान्त एक अन्य वसीयत दिनांक 11.05.2015 को श्रीमती कंचनदेवी के पक्ष में निष्पादित किया जाने के कथन किया गया। रजिस्ट्रेशन कानून के अनुसार वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। इस वसीयत के अनुसार समस्त विवादित भूमि श्रीमती कंचन देवी के नाम दर्ज होनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपंजीकृत वसीयत के गवाह श्री ओमप्रकाश द्वारा भी वसीयत के निष्पादन की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त वसीयत के वैधता के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा कोई जांच किया जाना नहीं पाया गया जबकि उसके द्वारा पंजीकृत वसीयत के संबंध में जांच की गई। उल्लेखनीय है कि वसीयत का पंजीकृत होना मात्र उसकी सदभाविकता व सन्देह से परे होने का प्रमाण नहीं है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा कार्यवाही के दौराने पंजीकृत वसीयत के संबंध में जांच की कार्यवाही की गई जबकि उसके उपरान्त निष्पादित अंपजीकृत वसीयत के संबंध में कोई जांच नहीं की गई जो अपेक्षित थी।

हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, ऐसे अविधिक निर्णय का समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसे अविधिक निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, जिस पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 अपास्त किया जाता है और तहसीलदार, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दोनों वसीयत के सम्बन्ध में जांच एवं विधिक परिक्षण व विश्लेषण उपरान्त नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर